संख्या:145/2026/641पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1002/10/2025-(पार्ट-1)

प्रेषक,

अशोक कुमार राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, विन्ध्याचल, बस्ती, देवीपाटन मण्डल।
2. मुख्य विकास अधिकारी,
प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, बाराबंकी, सुलतानपुर,
अम्बेडकर नगर, अमेठी, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, वाराणसी,
चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मिर्जापुर,
सन्तरविदास नगर(भदोही), सोनभद्र, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीर नगर,
गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर एवं श्रावस्ती।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 11 सितम्बर, 2026

विषय: पूर्वान्चल विकास निधि (अनुदान संख्या-83) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट प्राविधान के सापेक्ष पूर्वान्चल विकास निधि से आच्छादित जनपदों के मध्य जिलांश का फॉंट।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में संतुलित क्षेत्रीय विकास निधि के अन्तर्गत उपलब्ध बजट के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वान्चल विकास निधि (अनुदान संख्या-83) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपलब्ध बजट प्राविधान रू0 40000.00 लाख (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष जिलांश के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 20000.00 लाख (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित तालिका अनुसार संबंधित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी के निवर्तन पर अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

पूर्वान्चल विकास निधि के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 में उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष पूर्वान्चल क्षेत्र के 30 जनपदों हेतु जिलांश की धनराशि का जनपदवार फॉंट का आवंटन

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.सं.	**जनपद का नाम**	**अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपदवार जिलांश की धनराशि का आवंटन**
1	**2**	**3**
1	वाराणसी	1095.89
2	चन्दौली	456.62
3	गाजीपुर	730.59
4	जौनपुर	913.24
5	संत रविदास नगर भदोही	273.97
6	मिर्जापुर	639.27
7	सोनभद्र	365.30
8	गोरखपुर	1187.21
9	महराजगंज	456.62
10	देवरिया	730.59
11	कुशीनगर	639.27
12	बस्ती	547.95
13	संतकवीर नगर	365.30

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14	सिद्धार्थनगर	547.95
15	आजमगढ़	1369.86
16	मऊ	639.27
17	बलिया	913.24
18	प्रयागराज	1278.54
19	कौशाम्बी	365.30
20	फतेहपुर	639.27
21	प्रतापगढ़	913.24
22	अयोध्या	456.62
23	अम्बेडकर नगर	547.95
24	सुल्तानपुर	547.95
25	अमेठी	456.62
26	बाराबंकी	730.59
27	गोण्डा	730.59
28	बलरामपुर	456.62
29	बहराइच	821.92
30	श्रावस्ती	182.65
	पूर्वान्चल क्षेत्र का योग	**20000.00**

(रू0 दो सौ करोड़ मात्र)

<u>शर्तें एवं प्रतिबन्ध</u>

1. योजनाओं पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/ टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
3. मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणनों के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाये तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।
5. मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी यह अवश्य देख लेंगे कि पूर्वान्चल विकास निधि से स्वीकृत की गयी योजनाओं पर राज्य सरकार/ भारत सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो।
6. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 को प्रेषित किये जायेंगे।
7. जिन योजनाओं पर आंशिक धनराशि अवमुक्त की जाय, उन्हें पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष धनराशि उपर्युक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग होने के पश्चात ही स्वीकृत की जाय।
8. योजनाओं के समयबद्ध एवं गुणात्मक क्रियान्वयन के लिए सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु वे कार्यदायी संस्था से अपना प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।
9. मुख्य विकास अधिकारी ''पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त-2002'' (यथासंशोधित) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वर्तमान मा0 सदस्य, विधान सभा/मा0 सदस्य, विधान परिषद के साथ बैठक करके प्रस्तावों को अंतिम रूप देंगे।
10. कार्य का चयन करते समय क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखा जायेगा।
11. जनपद हेतु आवंटित धनराशि को जनपद के विधान सभा क्षेत्रों में लगभग समान परिस्थितियों में समान धनराशि का आवंटन करके योजनायें स्वीकृत की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12. निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व आगणन/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।
13. जनपद स्तर पर योजनाओं को तैयार करते समय एवं उन योजनाओं को मण्डलायुक्त द्वारा स्वीकृत करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मार्गदर्शी सिद्धान्त के उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधानों के अनुसार हों तथा चयनित/स्वीकृत कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग तथा बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
14. मुख्य विकास अधिकारी एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप प्रस्तावों के अन्तिम रूप देने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-1425/क0नि0प्र0/26-3-2013(21)/2013, दिनांक 10-10-2013 के प्रस्तर-(ब) के उप प्रस्तर-2 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ऐसी बसाबटों/ग्रामों/ग्राम पंचायतों अथवा नगर पंचायतों जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संख्या कम से कम 25 प्रतिशत हो, में क्षेत्र आधारित लघु आधारभूत संरचनाओं की निर्माण संबंधी परियोजनाओं पर शत-प्रतिशत परिव्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के अन्तर्गत आवंटित किया जायेगा।
15. प्रस्तावित/स्वीकृत योजनाओं में स्टाफ/ वाहन पर होने वाला आवर्तक व्यय निहित न हो।
16. मरम्मत कार्य, अत्यन्त लघु कार्य, कच्चे/सुन्दरीकरण के कार्य एवं जीर्णोद्धार से संबंधित योजनायें स्वीकृत न की जाय। इस संबंध में संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड) निधि के संचालन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त-2002 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाय।
17. गत वर्ष की अधूरी योजनाओं(यदि कोई हो) को पूर्ण करने हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाय, तदुपरान्त धनराशि नवीन योजनाओं हेतु स्वीकृत/व्यय की जाय।
18. योजनायें स्वीकृत करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि योजनायें एक ही वर्ष में पूरी हो जाय तथा केवल विशेष परिस्थितियों में ही इस प्रकार की योजनायें ली जाय, जो दो वर्षों में पूरी हो सके।
19. निधि में पोषित होने वाली योजनाओं में उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जाय, जो जनपद स्तरीय विकास में हितकर हो एवं जिन पर जिला योजना अथवा राज्य योजना के द्वारा सामान्य रूप से धनराशि का आवंटन उपलब्ध न हो।
20. पूर्वान्चल विकास निधि के जिलांश से ऐसे कार्य न कराये जाये जिनकी सूची संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड) निधि के संचालन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त-2002 (यथासंशोधित) के परिशिष्ट में उल्लिखित है।
21. निर्माण कार्य का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुसार किया जाय।
22. वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही प्राथमिकता के आधार पर महालेखाकार के आंकड़ों का सम्परीक्षण कराकर सम्परीक्षण आंकड़े शासन को अवश्य प्रेषित कर दिये जाय।
23. आवंटित धनराशि से स्वीकृतियॉ जारी किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1337/35-5-2002-8(74)/2000-170,दिनांक 19-9-2002 द्वारा निर्गत संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड) निधि के संचालन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त-2002 (यथासंशोधित) तथा शासनादेश संख्या-163/2020/515/23-14-2020-04(जनरल)/ 2020, दिनांक 01-10-2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
24. शासनादेश दिनांक 09-04-2007 तथा दिनांक 08-09-2007 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराई जाय।
25. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा। यह धनराशि पी0एल0ए0 डिपाजिट खाते, बैंक अथवा डाकखाने आदि में नहीं रखी जायेगी।
26. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-120/35-5-98(49)97-270, दिनांक 15-01-98 द्वारा पूर्वान्चल विकास निधि/बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत जिलांश के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार मण्डलायुक्तों को प्रदान किया गया है। अत: उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों एवं प्रदत्त आधिकारों के अन्तर्गत जनपदों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृतियां निर्गत की जायगी तथा इसकी सूचना लोक निर्माण विभाग को दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27. पूर्वान्चल विकास निधि से वित्त पोषित जिलांश के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का निर्धारण पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड विकास निधियों के मार्गदर्शी सिद्धान्त दिनांक 19-9-2002 (यथा संशोधित) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
28. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 20000.00 लाख (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक **''4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-02-पिछड़े क्षेत्र-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 03-पूर्वान्चल की विशेष योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-24-वृहद निर्माण कार्य''** के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-5-51-X-2026-27, दिनांक: 02-09-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अशोक कुमार राम)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर, (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, समस्त सम्बन्धित जनपद ।
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
10. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, समस्त सम्बन्धित जनपद ।
11. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) अनुभाग ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।